न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी का नामः— सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 87/2017
दायर दिनांक :— 23.11.2017
निर्णय दिनांक :— 12.03.2018

उनवान

1. ममता पत्नि जगदीश
2. पार्वती पत्नि गुलाब
   समस्त जाति गुर्जर निवासी जौपाड़ा तहसील दौसा जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा

(अप्रार्थी)

उपस्थिति :— 1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार दौसा।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम जौपाड़ा तहसील दौसा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नं0 156/923 रकबा 0.70 है0 भूमि का प्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2002 को आंवटन करवाने के लिए प्रार्थीगण के पति जगदीश व गुलाब द्वारा आवेदन किया गया जिस पर आंवटन समिति द्वारा तीन वर्ष के लिए अस्थाई आंवटन कर दिया गया तथा कब्जा प्रार्थीगण को सम्भलाया गया उक्त प्रार्थीगण को अस्थाई आंवटन तीन वर्ष के लिए ही किया गया जबकि उक्त भूमि स्थाई आंवटन योग्य भूमि थी तथा प्रार्थीगण के पास उक्त आंवटित भूमि के अलाव अन्य कोई कृषि भूमि नही है तथा प्रार्थीगण भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण का आंवटन से पूर्व से ही अपने परिवारजन के साथ उक्त भूमि खसरा नं0 156/923 रकबा 0.70 है0 पर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा काश्त कर लाभान्वित होती चली आ रही है। प्रार्थीगण को आंवटन होने के बाद उक्त आंवटन के आधार पर प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में अमल होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की जा सकी। राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में भी उक्त भूमि सिवाय चक भूमि है। उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज होने के कारण अप्रार्थी, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को खुर्द बुर्द करवाने को आमादा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है इसके सम्बन्ध में उक्त भूमि की खसरा परिवर्तनशील में भी

सहायक कलेक्टर
दौसा

प्रार्थीगण का कब्जा काश्त दर्ज है। दिनांक 13.11.17 को पटवारी हल्का द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर प्रार्थीगण ने आंवटन आदेश की नकल निकलवायी तो अस्थाई आंवटन की जानकारी हुई। स्थाई आंवटन योग्य भूमि का अस्थाई आंवटन कर देने के कारण अप्रार्थी, प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने को आमादा है जिसका उनको कोई अधिकार नही है तथा प्रार्थीगण उक्त आराजी की खातेदारी की उद्घोषणा करवाने की अधिकारिनी है तथा अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारिनी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाकर अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने हेतु निवेदन किया है कि तन ग्राम जौपाड़ा, पटवार हल्का जौपाड़ा तहसील दौसा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नं0 156/923 रकबा 0.70 है0 भूमि के कब्जे काश्त में कोई दखलदांजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने कर्मचारी, एजेन्टों, नौकरों आदि से करवायें। प्रार्थीगण को मौके से जबरन बेदखल नही करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई–निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रार्थना के पत्र के चरण संख्या 1 अस्थाई आंवटन के बिन्दु तक स्वीकार किया है। चरण संख्या 2 को स्वीकार किया है। चरण संख्या 3 को अस्वीकार किया है तथा चरण संख्या 4 व 5 के संदर्भ में अपने जवाब में अंकित किया गया है कि राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि होने के कारण तथा प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर रा0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखल किये जाने के प्रावधान निहित होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य है।

अप्रार्थी ने अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि खसरा नं0 156/923 रकबा 0.70 है0 किस्म सिवाय चक भूमि होने के कारण सरकार की भूमि है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर फसल की काश्त करते आये है जो अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। जिनका समय–समय पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की विधिवत् कार्यवाही करते हुये बेदखली/पैनल्टी/फसल निलामी के आदेशों से दण्डित किया जाता रहा है। प्रार्थीगण अतिक्रमी श्रेणी में काबिज होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है, जो नियमों के विपरीत है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे के खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

सहायक कलेक्टर
दौसा

अप्रार्थी के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रकरण को बहस में नियत किया जाकर उभय पक्षों, प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं पैराकार, सरकार नायब तहसीलदार दौसा की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि की किस्म सिवाय चक है तथा प्रार्थीगण का लम्बे अर्से से कब्जा काश्त है, काश्त के सबूत में प्रार्थीगण ने खसरा गिरदावरी की नकल भी पेश की है, जिसमें बाजरा व सरसों की काश्त होना अंकित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि सिवाय चक लगानी होने के कारण प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि की अधिघोषणा प्राप्त करने की हकदार है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करने हेतु निवेदन किया।

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषाधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है। प्रार्थीगण अतिक्रमी की श्रेणी में काबिज होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है जो नियमों के विपरीत है। अप्रार्थी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रार्थीगण को बेदखल करने, फसल नीलाम करने के वैधानिक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजकीय सिवाय चक भूमि है। आंवटन प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट पटवारी के अनुसार वादग्रस्त भूमि नदी से लगता हुआ खसरा नं0 बतलाया गया है तथा प्रार्थीगण को अस्थाई आंवटन किया गया है। यह आंवटन दिनांक 12.06.2002 को किया गया था। अस्थाई आंवटन तीन वर्ष के लिए किया जाता है। वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों की श्रेणी में होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केश, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता हैं। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो तथा मूल वाद के संलग्न हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (कार्यवाहक)
दौसा